संख्याः नि0 1479 /3–5 (आवा0/अना0 भवन)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी,
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक, 28 जनवरी, 2017।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना "4406–01–101–04–वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण" के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, (कार्ययोजना)/अपर प्रमुख वन संरक्षक,(शोघ) एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु साख–सीमा मदों में बजट/साख–सीमा का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश सं0 148/X-2-2017-12(45)/2009 दिनांक 19 जनवरी, 2017 **(छायाप्रति संलग्न)**।

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न **अलॉटमेंट आई डी–S1701270169** दिनांक 17.01.2017 से वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना **"4406–01–101–04–वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण"** के अन्तर्गत **मुख्य वन संरक्षक, (कार्ययोजना)/अपर प्रमुख वन संरक्षक, (शोघ) एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु साख–सीमा मदों** में पूर्व में अवमुक्त धनराशि **₹ 83,33,,000/– (₹ तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र)** के अतिरिक्त वर्तमान में **₹ 50,00,,000/– (₹ पचास लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त हुयी है। शासन से अवमुक्त उक्त धनराशि का **ऑन लाइन आवंटन** विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी– **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी** को सन्दर्भित शासनादेश में उल्लिखित एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी करते हुये **प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित** प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

1– किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) (संशोधन) नियमावली 2015**, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति उपलब्ध होने पर तद्नुसार अगली वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

3– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लाई जाये।

5– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219 (2009) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

6– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व शासन की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

7– कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुर्नरीक्षण की अनुमति नही दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा तथा परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

8– आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण **निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4** में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की **पहली तारीख तक** अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

.....2

<u>संख्याः नि0 1479 (1)/3–5 (आवा0/अना0 भवन) तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड,माजरा, देहरादून।

2– महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।

3– अपर सचिव,वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 एवं अपर सचिव, वित्त (अनुभाग–4),उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।

5– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रबन्ध, अनुसंधान, प्रशिक्षण, हल्द्वानी।

7– मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

8– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।

9–आहरण वितरण अधिकारी–**प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी।** कृपया सन्दर्भित शासनादेश एवं उक्त **पैरा–1 से 8** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये संलग्न **प्रश्नगत भवन** के निर्माण हेतु आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

10–उप वन संरक्षक, आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक– उपरोक्तानुसार</u>

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक